सं. 7-02/2021-एमएस (एसएसआईसी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, 5 वीं मंजिल,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली,

दिनांक 1 अगस्त, 2023

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव
सामाजिक कल्याण विभाग
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना (एएसआईसी)

महोदय/महोदया,

कृपया स्पाइनल इंजरी सेंटर (एएसआईसी) के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना के संशोधित दिशानिर्देशों की संलग्न प्रति को एतद्वारा प्राप्त करें, जो केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला योजना नामत: "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)'' के तहत एक उप-योजना है। जैसाकि आप जानते हैं, यह मंत्रालय सिपडा योजना लागू कर रहा है, ताकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, निर्मित वातावरण, सूचना और संचार के लिए पहुंच तथा उनकी स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने हेतु दिव्यांगजनों के अधिकारों की पुष्टि की गई है । यह मंत्रालय नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू करने के बाद वर्ष 1999 से इस योजना के तहत निधि जारी कर रहा है।

2. इस उप-योजना का उद्देश्य भारत में स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल चोट ग्रस्त रोगी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस योजना को कार्यान्वयन एजेंसियों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना एवं संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करें, योजना के दिशानिर्देशों से संबंधित शिकायतें इस विभाग को भेजे जाएं/ विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर योजना उपलब्ध है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(राजीव शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव ।
2. माननीय राज्य मंत्री (एसजेएंडई-पीबी/आरए/एएन) के निजी सचिव।
3. सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएसजेई के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
7. निदेशक (वीएस) – विभाग की वेबसाइट पर योजना को अपलोड करने हेतु ।

स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना

(एएसआईसी योजना)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5 वीं मंजिल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि 6

1.1 प्रस्तावना 6

1.2 उद्देश्य 6

1.3 लाभार्थियों की पात्रता 7

1.4 योजना की अवधि 7

2. घटक-I: भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता 7

2.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय 7

2.2 उद्देश्य 7

2.3 कार्यान्वयन एजेंसी 7

2.4 वित्तीय सहायता 7

2.5 सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया 8

2.6 स्वीकृत / जारी की गई सहायता अनुदान 9

3. घटक II: राज्य स्पाइनल सेंटरों (एसएसआईसी) की स्थापना 11

3.1 उद्देश्य 11

3.2 केंद्रों का संचालनात्मक उद्देश्य निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना होगा : 11

3.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भूमिका 11

3.4 जागरूकता सृजन घटक 12

3.5 केंद्र सरकार की भूमिका 12

3.6 कार्यान्वयन एजेंसी 13

3.7 निबंधन और शर्तें 13

अनुबंध-I : केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय (आईएसआईसी के संबंध में) 15

अनुबंध II : डीईपीडब्ल्यूडी की योजना के तहत स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के उपचार हेतु नि:शुल्क बेड लेने वाले लाभार्थियों की सूची आईएसआईसी और एसएसआईसी की वेबसाइट पर रखी/अपलोड की जाएगी जिसमें आधार संख्या नहीं दी गई है। 16

अनुबंध III: जीएफआर 19-ए 17

अनुबंध IV: अस्पताल से छुट्टी के समय रोगी द्वारा भरा जाने वाला फीडबैक फॉर्म 18

अनुबंध-V: आईएसआईसी घटक के तहत दावों के लिए जांचबिंदु, बेड अधिग्रहण स्थिति और गणना पत्रक 20

अनुबंध VI: जांचबिंदु@ एसएसआईसी घटक के तहत दावे 28

स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना (एएसआईसी)

1. पृष्ठभूमि

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार (जीओई) स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए सहायता (एएसआईसी) हेतु योजना लागू कर रही है जो पूर्व की दो योजनाएं, नामत: भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना और राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना के विलय का परिणाम है। तदनुसार, इस योजना के दो घटक हैं :

i. भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली के लिए सहायता

ii. राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना

1.1 प्रस्तावना

स्पाइनल कॉर्ड इंजरी (एससीआई) मानव को दुखी करने वाली अत्यंत कमजोर करने वाली स्थितियों में से एक है। यह एक व्यक्ति को मात्र शारीरिक रूप से अक्षम नहीं बनाता अपितु यह एक व्यक्ति और उसके परिवार के जीवन को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खराब करने की क्षमता रखता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी (एससीआई) एक जान लेने वाली स्थिति है जिसमें रोगों की संख्या और मृत्यु की संख्या का अधिक होने का जोखिम है। ऐसे रोगियों की सतत मॉनीटरिंग और जीवन के व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्कूल में भर्ती और आर्थिक भागीदारी के निचले दरों से जुड़ा हुआ है, और इसमें पर्याप्त व्यक्ति और सामाजिक लागत है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, चोट के स्तर और गंभीरता से मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है और यथासमय, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता से यह काफी प्रभावित होता है। स्वतंत्रता से पूर्व, भारत में स्पाइनल चोट के लिए कोई समर्पित सुविधा नहीं थी और चिकित्सा से जुड़े पेशेवरों में पुनर्वास की अवधारणा को बढ़ने में समय लगा । एससीआई से व्यथित रोगियों के लिए समर्पित मॉनीटरिंग और जीवन के प्रबंधन की आवश्यकता है, और इसलिए, देश में स्पाइनल इंजरी सेंटरों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने की अवश्यकता है।

1.2 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मौजूदा केंद्रों सहित देश भर के स्पाइनल इंजरी केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल चोट ग्रस्त रोगी अपना जीवन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जी सके ।

1.3 लाभार्थियों की पात्रता

इस योजना के उद्देश्य के लिए, स्पाइनल कॉर्ड चोट ग्रस्त भारतीय नागरिक का होना पात्रता मानदंड है जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3,00,000 / - (तीन लाख रुपये) रूपये से अधिक न हो। उक्त स्पाइनल चोट ग्रस्त गरीब रोगी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक लाभार्थी के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए और/ अथवा बीपीएल कार्ड और/ अथवा सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य कार्ड प्राप्त किया जाए जिसमें यह दर्शाया गया है कि परिवार की वार्षिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रूपये से कम है।

1.4 योजना की अवधि

योजना अधिसूचना की तारीख से कार्यात्मक होगी और योजना की अवधि में आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी (2025-26) ।

2. घटक-I: भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता

2.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय

इस घटक से संबंधित पिछली केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय अनुबंध-I पर संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

2.2 उद्देश्य

2.2.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्पाइनल कॉर्ड चोट ग्रस्त गरीब रोगियों को आंतरिक (इंडोर) उपचार और उन्हें पुनर्वास प्रदान करने के लिए आईएसआईसी द्वारा 25 नि:शुल्क बेड बनाए रखने और 5 नि:शुल्क बेड को बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से आईएसआईसी को निधि की प्रतिपूर्ति करना है ।

2.2.2 दिनांक 22.03.2007 के दिल्ली उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आंतरिक उपचार हेतु रखे जाने वाले 10% नि:शुल्क बेड को मंत्रालय की योजना आईएसआईसी के साथ विलय (क्लब) नहीं किया जाएगा और केंद्र की एएसआईसी योजना के तहत नि:शुल्क बेड के लाभ प्रदान करने से पहले इसे संबंधित रोगी को अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ।

2.3 कार्यान्वयन एजेंसी

भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), सेक्टर-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली इस योजना के आईएसआईसी घटक की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

2.4 वित्तीय सहायता

2.4.1 आवर्ती लागत

2.4.1.1 स्पाइनल कॉर्ड चोट ग्रस्त गरीब रोगियों को आंतरिक उपचार प्रदान करने और उनके पुनर्वास हेतु 25 नि:शुल्क बेड बनाए रखने और आईएसआईसी द्वारा 5 नि:शुल्क बेड बनाए रखे जाने के लिए आवर्ती सहायता।

2.4.1.2 प्रतिपूर्ति का दर वास्तविक रूप से बेड लेने के आधार पर *7,000/-* रुपये प्रति बेड प्रतिदिन होगा।

2.4.1.3 भविष्य में प्रतिपूर्ति के दर को बढ़ाने के लिए आईएसआईसी को विभाग से पूर्ण लागत के विश्लेषण के आधार पर पूर्व अनुमोदन लेना होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की वृद्धि मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी।

2.5 सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया

आईएसआईसी को एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकरण और एक विशिष्ट आईडी संख्या जेनरेट करना होगा। आईएसआईसी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को तिमाही के आधार पर निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु अपना प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज सूचना के साथ भेजना चाहिए।

2.5.1 आईएसआईसी को एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और एक यूनिक आईडी नंबर बनाना होगा। आईएसआईसी तिमाही आधार पर निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए अपना प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव निम्नलिखित दस्तावेजों / सूचना के साथ होना चाहिए:

2.5.1.1 उन लाभार्थियों की विस्तृत सूची जिनके लिए प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में किया गया है ।

2.5.1.2 दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22-03-2007 के आदेश के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इनडोर उपचार के लिए रखे जाने वाले 10% नि:शुल्क बेड को आईएसआईसी द्वारा मंत्रालय की योजना के साथ नहीं जोड़ा जाएगा और केंद्र की एएसआईसी योजना के तहत नि:शुल्क बेड के लाभों का प्रावधान करने से पहले संबंधित रोगियों को इसे अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आईएसआईसी द्वारा डीईपीडब्ल्यूडी को उक्त प्रावधान के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं।

2.5.1.3 आईएसआईसी प्रमाणित करेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2007 के आदेश के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इनडोर उपचार के लिए रखे जाने वाले 10% नि:शुल्क बेड एएसआईसी योजना के तहत प्रतिपूर्ति मांगने से पहले रोगियों द्वारा पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं।

2.5.1.4 पिछली सहायता अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र अनुबंध-III के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2.5.1.5 पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

2.5.1.6 आईएसआईसी को प्राप्त, उपयोग की गई अनुदान और लाभार्थियों की सूची के विवरण के साथ फोटो और राशन कार्ड संख्या/मतदाता पहचान पत्र संख्या/आधार कार्ड संख्या, जैसा भी मामला हो, वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।

2.5.1.7 आईएसआईसी योजना के तहत सभी लाभार्थियों से फीडबैक लेगा और इसे आईएसआईसी द्वारा तिमाही आधार पर विभाग के साथ साझा किया जाएगा। फीडबैक के लिए प्रोफार्मा अनुबंध IV में संलग्न है। उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से आईएसआईसी से छुट्टी देने (डिस्चार्जड) से पहले लाभार्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। आईएसआईसी, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों (निर्देशात्मक) के न्यूनतम सेट को अनुबंध-II, अनुबंध-III, अनुबंध-IV और अनुबंध-V पर देख सकते हैं।

2.6 स्वीकृत / जारी की गई सहायता अनुदान

2.6.1 उपर्युक्त पैरा 2.5 में यथा निर्धारित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद किसी विशेष वित्तीय वर्ष में आईएसआईसी को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। पिछले सहायता अनुदान के लिए निर्धारित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात बाद की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

2.7 निबंधन और शर्तें

2.7.1 आईएसआईसी सहायता प्राप्त लाभार्थियों की मासिक आय से संबंधित प्रमाण प्राप्त करेगा। इसमें डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा एएसआईसी योजना के तहत प्रतिपूर्ति किए गए 25 नि:शुल्क बेड के तहत प्रदान किए गए लाभार्थियों के साथ-साथ एएसआईसी योजना के तहत आईएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले 5 नि:शुल्क बेड के लाभार्थियों का विवरण शामिल होगा।

2.7.2 आईएसआईसी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का अलग से रिकॉर्ड रखेगा।

2.7.3 आईएसआईसी गरीब रोगियों के लिए 25 **नि:शुल्क बेड** बनाए रखने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का लेखा अलग से रखेगा। योजना के तहत प्राप्त निधियों को अलग बैंक खाते अर्थात बचत खाते में रखा जाना चाहिए और तदनुसार संचालित किया जाना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लेखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षित खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

2.7.4 विभाग किसी भी समय आईएसआईसी के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और इसे आईएसआईसी द्वारा पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी।

2.7.5 जब भारत सरकार के पास यह मानने के कारण हैं कि स्वीकृत प्रयोजन के लिए मंजूरी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो राशि ब्याज के साथ आईएसआईसी से वसूल (रिकवर्ड) की जाएगी और केंद्र द्वारा कोई और सहायता नहीं दी जाएगी। विभाग संगठन को प्रतिबंधित करने और विधि के अनुसार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2.7.6 इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों का उपयोग आईएसआईसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभाथयों के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग सहित स्वीकृति आदेश में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

2.7.7 विभाग की योजना के तहत नि:शुल्क-बेड उपचार (ट्रीटमेंट) प्रदान किए गए लाभार्थियों की सूची आईएसआईसी की वेबसाइट **(अनुबंध-II)** पर अपलोड की जाएगी।

2.7.8 जरूरतमंद रोगियों के बीच व्यापक प्रचार के लिए विभाग की योजना के तहत गरीब रोगियों हेतु केंद्र द्वारा प्रदान की गई **नि:शुल्क बेड** सुविधा का प्रमुख प्रदर्शन केंद्र द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसे रिसेप्शन/बिल्डिंग एरिया के साथ-साथ वेबसाइट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2.7.9 लाभार्थी को विभाग की इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, दिल्ली, इसे एलईडी पर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आउटडोर मीडिया के माध्यम से भी प्रदर्शित करेगा।

2.7.10 एएसआईसी योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 25 बेड, जिनके लिए विभाग व्यय वहन करेगा, को स्पष्ट रूप से "एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और "1-25" तक क्रमांकित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रतिपूर्ति वास्तविक रूप से बेड का उपयोग करने (ऑक्यूपेंसी) के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, एएसआईसी योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 5 बेड, जिसके लिए आईएसआईसी व्यय वहन करेगा, को स्पष्ट रूप से "एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए आईएसआईसी बेड" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और इसे "1-5" से क्रमांकित किया जाना चाहिए। ये 5 बेड जिनके लिए आईएसआईसी व्यय वहन करेगा, अनिवार्य रूप से ऑक्यूपाइड 25 बेड होंगे, जिसके लिए विभाग व्यय वहन करेगा।

2.7.11 आईएसआईसी एक इनबिल्ट मॉनिटरिंग तंत्र बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के लाभार्थियों और दिल्ली सरकार के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित बेडों के संबंध में कोई अतिरेक (रिडंडेंसी) न हो। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, आईएसआईसी अपने संचालन की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें योजना के तहत एससीआई रोगियों को उपयोग की गई निधियों और प्रदान की गई सहायता का विशेष संदर्भ होगा।

2.7.12 लाभार्थियों के दोहराव को हटाने के लिए, पंजीकरण संख्या के अलावा उनके आधार नंबर का उपयोग करके उनकी पहचान की जा सकती है।

2.7.13 यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित बेड खाली रहते हैं, तो इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) के अनुसार

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अगले उपलब्ध दिव्यांग लाभार्थी को आवंटित किया जा सकता है। दोनों की अनुपलब्धता के मामले में, उक्त बेड अगले ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को आवंटित किए जा सकते हैं।

3. घटक II: राज्य स्पाइनल सेंटरों (एसएसआईसी) की स्थापना

3.1 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मौजूदा केंद्रों अर्थात् एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर सहित पूरे भारत में स्पाइनल इंजरी केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि स्पाइनल इंजरी वाले रोगियों को अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अपना जीवनयापन करने में सक्षम बनाया जा सके।

3.2 केंद्रों का संचालनात्मक उद्देश्य निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना होगा :

क) समर्पित ओपीडी

ख) 12 बेड की सुविधा

जिला अस्पताल से जुड़े आर्थोपेडिक्स और पुनर्वास विभाग, जहां केंद्र स्थापित किए गए हैं, केंद्र की गतिविधियों की देखभाल करेगा।

3.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भूमिका

3.3.1 गैर-आवर्ती सहायता

पुनर्वास क्षेत्र के लिए अपेक्षित अनुमानित क्षेत्र और 12 बेडों की सुविधाओं के लिए क्षेत्र 4,000 - 6,000 वर्ग फुट है, जो संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचना लागत (बुनियादी संरचना कार्य, आंतरिक तथा अन्य इंजीनियरिंग सेवाओं सहित फिनिशिंग वर्क और यदि आवश्यक हो तो इंजीनियरिंग संयंत्र की आवश्यकता पर लागत) भी वहन करना होगा।

3.3.2 आवर्ती सहायता

3.3.2.1 (i) केंद्र चलाने के लिए आवश्यक चिकित्सा, पैरामेडिकल और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन; (ii) दवाइयां और उपभोग्य वस्तुएं; (iii) अवसंरचना और उपस्करों का रख-रखाव iv) जागरूकता सृजन (पैरा 34 देखें) पर आवर्ती लागत का वहन संबंधित राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) द्वारा किया जाएगा।

3.3.2.2 12 बेडों में से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर के दो बेडों के प्रबंधन पर आने वाली लागत का वहन करेगी। केंद्र सरकार गरीब रोगियों के उपचार के लिए प्रतिदिन शेष 10 बेडों के प्रबंधन पर आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के प्रयोजन के लिए, एक गरीब रोगी वह व्यक्ति होगा जिसकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष **₹** 3,00,000 / - (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं है। उक्त गरीब स्पाइनल इंजुरी रोगी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक

लाभार्थी के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए और/ या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बीपीएल कार्ड और / या अन्य कार्ड जिसमें यह दर्शाया गया है कि वार्षिक पारिवारिक आय **₹** 3 लाख प्रति वर्ष से कम है।

3.4 जागरूकता सृजन घटक

लाभार्थी को विभाग की इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए, राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर इसे एलईडी पर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आउटडोर मीडिया के माध्यम से भी प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए व्यय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (पैरा 3.3.2 देखें)। संबंधित एसएसआईसी के लिए यह एक पूर्व अपेक्षा होगी कि वह योजना के तहत विभाग से अनुदान का दावा करने के लिए उक्त घटक के तहत 2 लाख रुपये (न्यूनतम) तक निधियां व्यय किए हैं।

3.5 केंद्र सरकार की भूमिका

केंद्र सरकार निम्नलिखित लागत वहन करेगी:

3.5.1 आवर्ती सहायता

3.5.1.1 वार्षिक आधार पर 10 बेडों के रखरखाव की लागत की प्रतिपूर्ति **₹** 1000/- प्रति बेड प्रति दिन के दर या वास्तविकता के अनुसार होगी, जो भी कम हो। शेष 2 बेडों के संबंध में आवर्ती व्यय दायित्व राज्य सरकार/कार्यान्वयन अस्पताल द्वारा वहन किया जाएगा, बशर्ते कि शर्तें पूरी की गई हो।

3.5.1.2 प्रतिपूर्ति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होगी, **₹** 1,000 प्रति बेड प्रति दिन के दर पर या वास्तविकता के अनुसार, जो भी कम हो। प्रति बेड की दर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। संबंधित राज्य शेष दो बेडों के प्रबंधन पर शामिल लागत को वहन करेगा (उदाहरण के लिए, यदि प्रति दिन प्रति बेड प्रतिपूर्ति की दर **₹** 1,000 तय की जाती है और एक वर्ष में 360 दिनों के लिए 10 बेड अधिग्रहित रहते हैं, तो केंद्र सरकार राज्य को **₹** 1,000x10x360 = 36,00,000 की प्रतिपूर्ति करेगी)

3.5.2 गैर-आवर्ती सहायता

एसएसआईसी के लिए, केन्द्र सरकार राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना पर 2.33 करोड़ रुपए तक का गैर-आवर्ती व्यय वहन करेगी जिसमें (i) चिकित्सा उपकरणों; (ii) चिकित्सा/सर्जिकल उपस्करों (ओटी); (iii) पुनर्वास उपकरण - (क) ओटी और पीटी; (बी) ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स; और (ग) 12 बेड वाले वार्डों की स्थापना के लिए 0.56 करोड़ रुपए तक की सहायक प्रौद्योगिकी और गैर-आवर्ती व्यय लागत पर व्यय शामिल है।

3.6 कार्यान्वयन एजेंसी

एसएसआईसी के घटक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। विभाग योजना के आवर्ती और गैर-आवर्ती घटकों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को निधियां जारी करेगा।

3.7 निबंधन और शर्तें

3.7.1 एसएसआईसी योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का अलग से रिकॉर्ड रखेंगे।

3.7.2 एसएसआईसी 10 नि:शुल्क बेड के रखरखाव के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का एक अलग से लेखा-जोखा रखेंगे। योजना के तहत प्राप्त निधियां को एक अलग बैंक खाते अर्थात् बचत खाते में रखा जाना चाहिए और तदनुसार संचालित किया जाना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लेखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षित खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

3.7.3 संबंधित एसएसआईसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों (सांकेतिक) के न्यूनतम सेट को अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-VI के अनुसार देख सकते हैं।

3.7.4 विभाग किसी भी समय एसएसआईसी के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और संबंधित एसएसआईसी द्वारा इसकी पूरी सहायता की जाएगी।

3.7.5 जब भारत सरकार के पास यह मानने के कारण हैं कि स्वीकृत प्रयोजन के लिए स्वीकृति का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो राशि एसएसआईसी से ब्याज सहित वसूल (रिकवर्ड) की जाएगी और केंद्र द्वारा आगे कोई सहायता नहीं दी जाएगी। विभाग संगठन को प्रतिबंधित करने और विधि की पूर्ण सीमा तक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3.7.6 इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों का उपयोग एसएसआईसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग सहित स्वीकृति आदेश में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

3.7.7 विभाग की योजना के तहत निशुल्क बेड उपचार (ट्रीटमेंट) प्रदान किए गए लाभार्थियों की सूची एसएसआईसी की वेबसाइट **(अनुबंध-II)** पर अपलोड की जाएगी।

3.7.8 जरूरतमंद रोगियों के बीच व्यापक प्रचार के लिए एसएसआईसी द्वारा विभाग की योजना के तहत गरीब रोगियों के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की गई नि:शुल्क बेड सुविधा का प्रमुख प्रदर्शन एसएसआईसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3.7.9 लाभार्थी को विभाग की इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए, एसएसआईसी इसे एलईडी पर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से भी प्रदर्शित करेंगे।

3.7.10 एसएसआईसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक इनबिल्ट मॉनिटरिंग तंत्र बनाएंगे कि योजना के तहत केंद्र से प्राप्त सहायता के लिए किसी भी तरह से योजना के तहत लाभार्थियों के कवरेज में कोई अतिरेक (रिडंडेंसी) न हो। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, एसएसआईसी योजना के तहत एससीआई रोगियों को उपयोग की गई निधियों और प्रदान की गई सहायता के विशेष संदर्भ में अपने संचालन की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3.7.11 एसएसआईसी योजना के तहत लाभार्थियों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) लेने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे और इसे एसएसआईसी द्वारा विभाग के साथ त्रैमासिक आधार पर साझा किया जाएगा।

3.7.12 एसएसआईसी यह सुनिश्चित करेंगे कि चार्ट, चित्र, जागरूकता सत्र आदि जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से जागरूकता पैदा करके पीडब्ल्यूडी से सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

****

अनुबंध-I : केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय (आईएसआईसी के संबंध में)

I. दिनांक: 28.03.1989

क. नई दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेंटर की स्थापना - इटेलियन एनजीओ इटेलियन एसोसिएशन फॉर सॉलिडेरिटी अमंग पीपल (एआईएसपीओ) और इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेंटर (आईएसआईसी) के माध्यम से इटली सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम।

ख. 1989-90 के दौरान गैर-आवर्ती व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा ₹ 2.50 करोड़ का एकमुश्त अनुदान।

ग. पहले पांच वर्षों के लिए केंद्र के आवर्ती व्यय का 50% अनुदान (वेतन और भत्ते, रखरखाव और उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स, सर्जिकल उपभोग्य वस्तुएं, लिनन आइटम, सफाई सामग्री, दवाएं और रसायन, आहार आदि)।

II. दिनांक: 15.12.1997

क. दिनांक 28.03.1989 के पिछले कैबिनेट निर्णय में संशोधन - आवर्ती व्यय का 50% वहन करने के बजाय, सरकार गरीब रोगियों के इनडोर उपचार के लिए 30 बिस्तर प्रायोजित करेगा जिसमें वर्ष 1997-98 के दौरान ₹ 1.67 करोड़ का व्यय और उसके बाद 10% की वार्षिक वृद्धि शामिल है।

ख. अवसंरचना को पूरा करने के लिए ₹ 5.80 करोड़ का गैर-आवर्ती अनुदान जारी करना ।

ग. 9वें वित्त वर्ष कार्यक्रम (1997-2002) के समापन से पहले परियोजना की समीक्षा की जानी है और आईएसआईसी के संतोषजनक कामकाज पर भविष्य के अनुदान के साथ-साथ इसके वित्तपोषण की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा।

घ. 2004-05 के बाद से, 25 निःशुल्क बेडों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जानी थी और 5 निःशुल्क बेडों का वहन आईएसआईसी द्वारा किया जाना था।

ङ. मंत्रालय आईएसआईसी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 1989-90 से इस योजना के तहत निधि जारी कर रहा है और कैबिनेट के फैसले तथा योजना के लिए निधि के आवंटन के परिप्रेक्ष्य में साल-दर-साल के आधार पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।

अनुबंध II : डीईपीडब्ल्यूडी की योजना के तहत स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के उपचार हेतु नि:शुल्क बेड लेने वाले लाभार्थियों की सूची आईएसआईसी और एसएसआईसी की वेबसाइट पर रखी/अपलोड की जाएगी जिसमें आधार संख्या नहीं दी गई है।

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम पिता/माता/पति के नाम के साथ	पूरा पता	आयु	पुरुष/ महिला	श्रेणी सामान्य/एससी/एसटी	मासिक आय (आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा)	मामले की प्रकृति	प्रवेश की तिथि	डिस्चार्ज तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ठहरने की अवधि (दिनों में)	किया गया व्यय	आधार कार्ड नंबर*	आधार कार्ड के अलावा, पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज़**	मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंड लाइन नंबर***	लाभार्थी का फोटो
11	12	13	14	15	16

** लाभार्थियों की आधार संख्या का वेबसाइट पर डिस्क्लोज्ड/अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।*

*** मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त पासबुक आईडी/पैन कार्ड/कर्मचारी सरकारी आईडी कार्ड/फोटोयुक्त राशन कार्ड/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र/दिव्यांगों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा फोटोयुक्त पहचान जारी कार्ड।*

**** लाभार्थी का मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंड लाइन नंबर अपलोड करना ताकि मंत्रालय को आईएसआईसी द्वारा लाभार्थी को प्रदान किए गए नि:शुल्क उपचार के बारे में फीडबैक मिल सके। यदि यह लाभार्थी के पास उपलब्ध नहीं है, तो लाभार्थी के रिश्तेदार/परिचित की मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंड लाइन नंबर अपलोड करना होगा।*

अनुबंध III: जीएफआर 19-ए

[नियम 212(1) देखें]

उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र

क्र.सं.	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	राशि (₹)	प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के हाशिए में दिए गए पत्र संख्या के तहत__________के पक्ष में वर्ष__________के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि __________रू. और पिछले वर्ष में खर्च नहीं किए गए शेष राशि __________रू. में से, __________राशि का उपयोग__________ उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था तथा वर्ष के अंत में अनुपयुक्त शेष राशि __________सरकार को वापिस की गई है। दिनांक __________के सं. __________के माध्यम से) / अगले वर्ष __________के दौरान देय सहायता अनुदान राशि में समायोजित की जाएगी।
	कुल		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि राशि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

की गई जांचों के प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर__________

पदनाम_________

तारीख________________

अनुबंध IV: अस्पताल से छुट्टी के समय रोगी द्वारा भरा जाने वाला फीडबैक फॉर्म

क्र.सं	विवरण	टिप्पणियां				
1	मरीज का नाम					
2	पिता का नाम					
3	पता					
4	फोन नंबर					
5	लिंग	पुरूष	महिला	अन्य		
6	अस्पताल का पंजीकरण संख्या					
7	क्या बीपीएल से संबंधित है	हाँ	नहीं			
8	क्या पीएम-जेएवाई की सदस्यता ली गई है	हाँ	नहीं			
9	रोगी/पिता (नाबालिग/आश्रित के मामले में) की वार्षिक आय					
10	श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	अन्य
11	क्या डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार की एएसआईसी योजना के तहत नि:शुल्क बेड उपलब्ध कराए गए हैं	हाँ	नहीं			
12	क्या दिव्यांग हैं	हाँ	नहीं			
13	यदि हां, तो दिव्यांगता का % और प्रकार					
14	अस्पताल में ठहरने की अवधि	……………से…….......तक				
15	प्रदान की गईं पैकेज/सुविधाएँ					
	क्या कोई शुल्क लिया गया है	हाँ	नहीं			

क्र.सं	विवरण	टिप्पणियां	
16	यदि हां, तो कितना	₹	
17	क्या आप संतुष्ट हैं यदि हाँ, तो कृपया रेटिंग दें	उत्कृष्ट	अच्छा
		औसत	खराब
18	योजना के बारे में जानकारी का स्रोत	अस्पताल	चिकित्सक
		दोस्त	अन्य
19	सुझाव, यदि कोई हो		

नोट: जो लागू हो उस पर टिक करें।

(रोगी/परिचारक का नाम और हस्ताक्षर)

अनुबंध-V: आईएसआईसी घटक के तहत दावों के लिए जांचबिंदु, बेड अधिग्रहण स्थिति और गणना पत्रक

1. जांचबिंदु@

क्र.सं.	दस्तावेज	स्थिति
1	गैर-सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत विशिष्ट पहचान संख्या	
2	पिछला जीआईए उपयोग प्रमाण पत्र (जीआईए प्रतिपूर्ति आधार पर जारी)	
3	वार्षिक रिपोर्ट	
4	केंद्र के समेकित लेखापरीक्षित लेखा	
5	पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षित खाता (बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरण, रसीद और भुगतान विवरण)	
6	क्या प्रोग्राम डिवीजन द्वारा नियम 238 (2) के तहत अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षित खाता स्वीकार किया गया है	
7	लाभार्थी सूची के साथ आधार कार्ड	
8	आईएसआईसी द्वारा घोषणा कि एएसआईसी योजना के तहत लाभार्थियों ने पहले से ही राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र की किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना या प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की सदस्यता नहीं ली है	
9	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एएसआईसी योजना के आईएसआईसी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की विस्तृत सूची (जिसमें लाभार्थी के नाम के साथ पिता /माता/पति का नाम, पूरा पता, आयु, पुरुष/महिला, श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति), मासिक आय प्रमाण पत्र, मामले की प्रकृति, प्रवेश की तिथि, डिस्चार्ज की तिथि, ठहरने की अवधि/दिनों में) किए गए व्यय, आधार कार्ड सं., आधार कार्ड के अलावा पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज *, मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन नंबर, लाभार्थी की फोटो) (क) योजना के तहत विभाग द्वारा रखे गए अधिकृत 25 नि:शुल्क बेड पाने वाले लाभार्थियों की पृथक सूची	

क्र.सं.	दस्तावेज	स्थिति
	(ख) योजना के तहत आईएसआईसी द्वारा बनाए गए अधिकृत 5 नि:शुल्क बेड पाने वाले लाभार्थियों की पृथक सूची	
10	दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22-03-2007 के आदेशानुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इनडोर उपचार के लिए रखे जाने वाले 10% नि:शुल्क बेडों की अलग सूची। इसे योजना के तहत नहीं जोड़ा जाना चाहिए।	
11	लाभार्थियों का मासिक आय प्रमाण पत्र (क्रमवार)	
12	आईएसआईसी योजना के तहत गरीब रोगियों के लिए 25 नि:शुल्क बेडों के रखरखाव के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त निधियों का अलग से लेखा। विशेष अवधि के लिए लेखा का विवरण	
13	लाभार्थी का वचन पत्र	
14	मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/फोटो पहचान पत्र के साथ एक राष्ट्रीकृत बैंक की पासबुक/पैन कार्ड/कर्मचारी का सरकारी आईडी कार्ड/फोटो युक्त राशन कार्ड/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/दिव्यांगों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।	
15	आईएसआईसी, दिल्ली द्वारा यह वचन कि आईएसआईसी दावे के तहत कवर किए गए लाभार्थियों के लिए, उक्त लाभार्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईडब्ल्यूएस के लिए 10% नि:शुल्क बेड के तहत कवर नहीं किया गया है और उक्त लाभार्थियों के लिए दावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आईएसआईसी योजना के अलावा कहीं और से नहीं किया गया है)	

* मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/फोटो युक्त पहचान पत्र/पैन कार्ड/ कर्मचारी का सरकारी आईडी कार्ड/फोटो युक्त राशन कार्ड/एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/दिव्यांग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।

@ कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त जांचबिंदु निर्देशात्मक है। समय-समय पर प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की पहचान की जा सकती है।

2. मासिक बेड ऑक्यूपेंसी की स्थिति

बेड की संख्या *	एएसआईसी योजना के तहत कवर की गई आईएसआईसी बेड संख्या – ऑक्यूपेंसी स्थिति (बेड लेने वाले रोगी के नाम के साथ कॉलम भरें)@						ऑक्यूपेंसी स्थिति - एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (भरा हुआ (ओ)/खाली (यू))																										टिप्पणी
	1	2	3	4	5	कुल भरे हुए आईएसआईसी के बेड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	कुल भरे हुए डीईपीडब्ल्यूडी के बेड	
वार्ड नं.																																	
01/01/2022																																	
02/01/2022																																	
03/01/2022																																	
04/01/2022																																	
05/01/2022																																	

बेड की संख्या *	एएसआईसी योजना के तहत कवर की गई आईएसआईसी बेड संख्या – ऑक्यूपेंसी स्थिति (बेड लेने वाले रोगी के नाम के साथ कॉलम भरें)@						ऑक्यूपेंसी स्थिति - एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (भरा हुआ (ओ)/खाली (यू))																										टिप्पणी
	1	2	3	4	5	कुल भरे हुए आईएसआईसी के बेड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	कुल भरे हुए डीईपीडब्ल्यूडी के बेड	
वार्ड नं.																																	
06/01/2022																																	
07/01/2022																																	
08/01/2022																																	
09/01/2022																																	
10/01/2022																																	
11/01/2022																																	
12/01/2022																																	

बेड की संख्या *	एएसआईसी योजना के तहत कवर की गई आईएसआईसी बेड संख्या – ऑक्यूपेंसी स्थिति (बेड लेने वाले रोगी के नाम के साथ कॉलम भरें)@						ऑक्यूपेंसी स्थिति - एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (भरा हुआ (ओ)/खाली (यू))																									टिप्पणी
	1	2	3	4	5	कुल भरे हुए आईएसआईसी के बेड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	कुल भरे हुए डीईपीडब्ल्यूडी के बेड	
वार्ड नं.																																	
13/01/2022																																	
14/01/2022																																	
15/01/2022																																	
16/01/2022																																	
17/01/2022																																	
18/01/2022																																	
19/01/2022																																	

बेड की संख्या *	एएसआईसी योजना के तहत कवर की गई आईएसआईसी बेड संख्या – ऑक्यूपेंसी स्थिति (बेड लेने वाले रोगी के नाम के साथ कॉलम भरें)@						ऑक्यूपेंसी स्थिति - एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (भरा हुआ (ओ)/खाली (यू))																										टिप्पणी
	1	2	3	4	5	कुल भरे हुए आईएसआईसी के बेड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	कुल भरे हुए डीईपीडब्ल्यूडी के बेड	
वार्ड नं.																																	
20/01/2022																																	
21/01/2022																																	
22/01/2022																																	
23/01/2022																																	
24/01/2022																																	
25/01/2022																																	
26/01/2022																																	

बेड की संख्या *	एएसआईसी योजना के तहत कवर की गई आईएसआईसी बेड संख्या – ऑक्यूपेंसी स्थिति (बेड लेने वाले रोगी के नाम के साथ कॉलम भरें)@						ऑक्यूपेंसी स्थिति - एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (भरा हुआ (ओ)/खाली (यू))																										टिप्पणी
	1	2	3	4	5	कुल भरे हुए आईएसआईसी के बेड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	कुल भरे हुए डीईपीडब्ल्यूडी के बेड	
वार्ड नं.																																	
27/01/2022																																	
28/01/2022																																	
29/01/2022																																	
30/01/2022																																	
31/01/2022																																	
कुल(क)							कुल(ख)																										

* बेड को ऊपर उनकी आवंटित संख्या के अनुसार स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

@ यदि बेड खाली है, तो कॉलम को "X" के साथ चिह्नित करें।

3. दावे के लिए मासिक गणना पत्रक

क्र.सं.	माह, वित्त वर्ष	कुल दावा		एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए आईएसआईसी बेड (5 बेड)		एएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार के बेड (25 बेड)		टिप्पणियां
		कितने दिनों के लिए बेड भरा हुआ	राशि ₹ में 7000 /- (प्रति बेड प्रति दिन की दर से)	कितने दिनों के लिए बेड भरा हुआ	राशि ₹ में 7000 /- (प्रति बेड प्रति दिन की दर से)	कितने दिनों के लिए बेड भरा हुआ	राशि ₹ में 7000 /- (प्रति बेड प्रति दिन की दर से)	
1	अप्रैल, वित्त वर्ष 22-23							
2	मई, वित्त वर्ष 22-23							
3	जून, वित्त वर्ष 22-23							

अनुबंध VI: जांचबिंदु@ एसएसआईसी घटक के तहत दावे

क्र.सं.	दस्तावेज	स्थिति
1.	पिछले जीआईए उपयोग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)	
2.	वार्षिक रिपोर्ट	
3.	केंद्र के समेकित लेखापरीक्षित लेखा	
4.	पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षित खाता (बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरण, रसीद और भुगतान विवरण)	
5.	क्या प्रोग्राम डिवीजन द्वारा नियम 238 (2) के तहत अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षित खाता स्वीकार किया गया है	
6.	लाभार्थी सूची के साथ आधार कार्ड	
7.	संबंधित एसएसआईसी द्वारा घोषणा कि एएसआईसी योजना के तहत लाभार्थियों ने पहले से ही राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र की किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) की सदस्यता नहीं ली है।	
8.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की विस्तृत सूची (जिसमें लाभार्थी के नाम के साथ पिता/माता/पति का नाम, पूरा पता, आयु, पुरुष/महिला, श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), मासिक आय प्रमाण पत्र, मामले की प्रकृति, प्रवेश की तिथि, डिस्चार्ज की तारीख, ठहरने की अवधि/दिनों में), किए गए व्यय, आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अलावा पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज, मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन नंबर, लाभार्थी की फोटो शामिल हैं।	
9.	लाभार्थियों का मासिक आय प्रमाण पत्र - क्रमवार	
10.	एसएसआईसी घटक के तहत गरीब रोगियों के लिए 10 नि:शुल्क बेडों के रखरखाव के लिए डीईपीडब्ल्यूडी से प्राप्त निधियों का अलग से लेखा-जोखा। विशेष अवधि के लिए लेखा का विवरण।	
11.	लाभार्थी का वचन पत्र	
12.	मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/फोटो युक्त फोटो आईडी/पैन	

	कार्ड/कर्मचारी सरकारी पहचान पत्र/फोटो युक्त राशन कार्ड/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/दिव्यांगों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।	

* मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/फोटो पहचान पत्र के साथ एक राष्ट्रीकृत बैंक की पासबुक/पैन कार्ड/कर्मचारी का सरकारी आईडी कार्ड/फोटो युक्त राशन कार्ड/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/दिव्यांगों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।

@ कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त जांचबिंदु निर्देशात्मक है। समय-समय पर प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की पहचान की जा सकती है।

****